न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 01/2013 अपील/प्रतापगढ़

पंजीयन दिनांक– 01.01.2013

निर्णय दिनांक– 04.07.2019

राजस्थान सरकार जरिये उप वन संरक्षक परियोजना (वन विभाग, राजस्थान सरकार) बेगूं तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

. ..... अपीलान्ट

बनाम

नगरपालिका , प्रतापगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका प्रतापगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

श्री भगवान लाल पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री एस0पी0व्यास : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़, बसिलसिले आदेश कमांकः राजस्व/2000/2–3(14)2000/1505 दिनांक 30.10.2000 एवं नामान्तरकरण संख्या 2122 (I) से 2122 (V) तहसीलदार प्रतापगढ़ दिनांक 24.03.2001 राजस्व ग्राम प्रतापगढ़

निर्णय

दिनांक– 04.07.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़, बसिलसिले आदेश कमांकः राजस्व/2000/2–3(14)2000/1505 दिनांक 30.10.2000 एवं नामान्तरकरण संख्या 2122 (I) से 2122 (V) तहसीलदार प्रतापगढ़ दिनांक

24.03.2001 राजस्व ग्राम प्रतापगढ़ के मय प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा बताया गया कि उसे राजस्व विभाग से 16.12.1969 को खसरा नम्बर 268 मीन एवं 1594 मीन रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटित होकर उन्हें पटवारी द्वारा मौके पर सुपुर्द किया गया। उक्त भूमि आवंटन होने के बाद चाहा गया इकरारनामा उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त भूमि पर वन विभाग का वैधानिक कब्जा होते हुए भी राजस्व विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड में उक्त आवंटित भूमि का अंकन नहीं किया गया है। वन विभाग राजस्थान सरकार की परियोजनाऐं भू–संरक्षण आदि की प्रतापगढ़ में शुरूआत 1965 से हुई, इसके लिए राजस्व विभाग के द्वारा बताई गई भूमि पर 1965 से वन विभाग की नर्सरी आदि प्रारम्भ हुई, जिसकी सुरक्षा हेतु तार फैंसिंग तथा पक्की बाऊण्ड्री वॉल बना दी गई। आवंटित भूमि के वर्तमान आराजी नम्बर 465 रकबा 0.62, 466 रकबा 0.41, 467 रकबा 0.17, 468 रकबा 0.09, 1721 रकबा 0.69, 1722 रकबा 0.22, 1724 एवं 1725, 1916 आंशिक एवं 1723 सीमा पर स्थित होकर अपीलान्ट विभाग का राजस्थान सरकार के आवंटन से अब तक निरन्तर एवं निर्बाघ वैध कब्जा बना हुआ है। उक्त भूमि में वन विभाग के कार्यालय, नर्सरी एवं आवास बने हुए है। आवंटित भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज करने का दायित्व राजस्व विभाग का था, किन्तु उनके द्वारा भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं की गई। विवादग्रस्त आवंटित भूमि को नगरपालिका प्रतापगढ़ को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ़ द्वारा दिनांक 30.10.2000 से उन्हें बिना सुने एवं बिना जानकारी के गलत आधार पर जारी किये गये। उक्त आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2122 (I) से 2122 (V) दर्ज किया गया, जो कानूनी रूप से पूर्णतया गलत है। नगरपालिका द्वारा विवादग्रस्त भूमि एवं उसके आसपास नगरपालिका की भूमि होने के बोर्ड लगाने तथा विवादित भूमि पर जबरन प्रवेश कर निर्माण को विध्वंस करने के प्रयास किये गये, जिससे अपीलार्थी को उक्त हस्तान्तरण आदेश की जानकारी होने पर आवश्यक नकलों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर बिना किसी विलम्ब के नियत अवधि में अपील प्रस्तुत की गई। अतः पूर्व की अवधि को न्यायहित में कन्डोन करते हुए जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.10.2000 को एवं इसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2122 (I) से 2122 (V) को निरस्त करते हुए आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम दर्ज कराने का आदेश फरमाया जावें।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यप्रकाश व्यास उपस्थित हुए। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 13.06.2019 को सुनी गई।

इस न्यायालयों के आदेशों के क्रम में तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा पटवारी से प्राप्त मौका रिपोर्ट भी अपने पत्र क्रमांक 205 दिनांक 15.04.2019 से भिजवाई गई, जो पत्रावली के रेकर्ड पर रखी गई।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 का आवेदन दिनांक 30.12.2012 को पेश किया। उक्त आवेदन के साथ पेश शुदा प्रमाणित दस्तावेजात की प्रतियों को रेकार्ड पर रखे जानी की अनुज्ञा दी जाती है। अप्रमाणित दस्तावेजात को रेकार्ड पर रखने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपने अपील मेमो में वर्णित उजरात को दोहराते हुए ही निवेदन किया कि अपीलार्थी विभाग को पूर्व में आवंटित भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का दायित्व राजस्व विभाग का था, जो उनके द्वारा नहीं किये जाने के कारण भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित की गई है। भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है। पूर्व आवंटन व कब्जे के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व उसकी पालना में किया गया नामान्तरकरण अपास्त किया जाकर अपीलान्ट को पूर्व में आवंटित भूमि उनके नाम दर्ज की जाय।

इसके विरूद्ध वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. के आज्ञा के प्रावधानों की पालना नहीं की है तथा निवेदन किया कि न्यायिक नजीर आरआरटी 2012 (1) पेज 406 के दृष्टिगत राजकीय विभागों के मध्य के विवाद को न्यायिक निर्णयों के स्थान पर अन्तर्विभागीय प्रकरणों से निस्तारण किया जाना चाहिये, ऐसे प्रकरणों में न्यायालय को सुनवाई नहीं की जानी चाहिये। रेस्पोडेन्ट द्वारा इस प्रकरण में अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा मूल रूप से अपील आवेदन जिला कलक्टर के रेस्पोडेन्ट को भूमि आवंटन आदेश के विरूद्ध एवं उसकी पालना में खोले गये नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। धारा 75 B राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अनुसार

जिला कलक्टर के मूल आदेश के विरूद्ध अपील का श्रवणाधिकार राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय को है। इसी प्रकार धारा 75 D के तहत अविवादित नामान्तरकरण की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भू–अभिलेख अधिकारी का है। वैसे भी आवंटन आदेश के अस्तित्व में रहते हुए नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा चाहे गये दोनों अनुतोष इस न्यायालय द्वारा दिये जाने के लिए कोई विधिक क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में हम रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश शुदा उपरोक्त वर्णित न्यायिक नजीर से भी पूर्ण सहमति रखते है। प्रकरण में राजकीय विभाग/निकायों के मध्य वादकरण से प्रकरण का निस्तारण किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है। प्रकरण में अपीलान्ट विभाग द्वारा जिला कलक्टर/ राज्य सरकार को कोई प्रतिवेदन देकर उक्त विवाद का निस्तारण किये जाने का कोई उपक्रम नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलान्ट को परामर्श दिया जाता है कि वह जिला कलक्टर/राज्य सरकार स्तर पर उचित प्रतिवेदन पेश करें ताकि सक्षम अधिकारी उसका विधि सम्मत निस्तारण कर सकें।

मिसल शुमार फैसल हो, आदेश सुनाया गया।

(एल0 एन0 मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official